भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(प्रौद्यौगिकीय विकास प्रभाग)

फा. सं. 812-4/2012-टीडी　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 21 अगस्त 2014

सार्वजनिक सूचना

ट्राई के नाम पर धोखे से बचें

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ कंपनियां / एजेंसियां / व्यक्ति धोखे से लोगों को मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए अपने परिसरों को पट्टे पर देने के लिए दूरसंचार अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कर के तौर पर उनके निजी / कंपनी के खाते में पैसे जमा कराने के लिए कह रहे हैं। ये कंपनियां/ एजेंसियां/ व्यक्ति पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं। ये कंपनियां, संचार एंव सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय द्वारा टावर की स्थापना के लिए कथित रूप से जारी किए जाने वाले जाली 'कोई आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र/ अनुमति' भी जारी कर रही है।

एतदद्वारा सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) किसी भी प्रकार से, मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए परिसरों को पट्टे पर लेने या इस उद्देश्य के लिए कोई भी 'कोई आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र' जारी करने के लिए कोई कर / फीस की उगाही में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है।

ऐसी कंपनियों/एजेंसियों/व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने या अनुबंध में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसा अपने खुद के जोखिम पर करेगा और ट्राई किसी भी दावे या हानि या क्षति, जो भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रभावित व्यक्ति इस मुद्दे को कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सम्मुख ले जा सकते हैं।

सचिव, ट्राई